न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 27 सन 2019

अनवान :–

1. शुभम पुत्र हस्ताराम जाति जाट जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी हस्ताराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल सुर्यनगर कॉलोनी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय खूईया तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसी बैक शाखा जसाना तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता सायल

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 29/01/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 के खसरा न0 158 की 0.4680 , खसरा न0 188/3 की 4.5270 , खसरा न0 188/6 की 1. 9480हैक खसरा न0 190/1 की 1.0120 , खसरा न0 190/3 की 1.7580 , कुल 9.7130हैक एव रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 के खसरा न0 32/1 की 1.2530 ,218/1 की 14.9140हैक कुल 16.1670हैक भूमि जिसके 1/3 हिस्सा अर्थात 5.389 हैक भूमि में वादी के दादा चन्द्रभान के हिस्सा में आयी जिसमें सायल के पिता गैरसायल न0 1 का 1/15 हिस्सा यानि 1.078हैक भूमि स्थित है।

उपरोक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें सायल के दादा चन्द्रभान की स्व अर्जित भूमि है तथा सायल गैरसायल न0 1 के साथ कोपासर्नर है उक्त भूमि के गैरसायल संख्या 1 के सहदायगी खातेदार काश्तकार है तथा उनका वाद भूमि में पैदायशी हक व हिस्सा है चुकि गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि बदनियत व चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त वाद भूमि में सायल व गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है यानि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130है भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा भूमि में सायल व गेरसायल स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा सुरजनसर के खाता सख्या 20/17 की कुल 16.1670हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 5.389हैक भूमि में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा यानी 1.078हैक भूमि सायल व गैरसायल सं. 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है यही धोषणा का वाद पेश किया गया है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से बदयान्ति आ गई है एवं गैरसायल न0 1 ने सायल की माता के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया है तथा सायल नाबालिग है एवं वादी के जीवन व्यापन के लिये एक मात्र यही कृषि भूमि है तथा सायला अपने पीहर में निवास कर रही है गैरसायल न0 1 वाद भूमि को रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिय सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130 में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 की कुल 5.389हैक में से 1/15 हिस्सा अर्थात 1.078हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है कि रिकार्ड एवं मौका का यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 2 ता 4 की और से पैरोकार राज एवं प्रतिवादी संख्या 5 की और से श्री सन्तलाल अधिवक्ता उपस्थित आये गैरसायल न0 2 ता 5 फोरमल पक्षकार है गैरसायल न0 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट काश्तकार नही है सायल के पास विवादित भूमि का कब्जा नही है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है सायल ने प्रार्थना पत्र जरिये माता पेश किया गया है जबकि सायल स्वय बालिग है अर्थात न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नही आया है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सायल की माता को घर से निकाल दिया जबकि सायल व उसकी माता को घर से नही निकाला है हनुमानगढ में मकान देकर रखा हुआ है सायल की माता पिहर में निवास करने का कथन गलत अंकित किया गया है गैरसायल वाद भूमि को कभी भी रहन बेय नही करना चाहता है। रोही मौजा सुरजनसर की भूमि सायल के दादा चन्द्रभान पुत्र सुरजाराम की स्व अर्जित भूमि है जो जरिये बेयनामा खरीदशुद्वा है इसलिये चन्द्रभान के जीवनकाल में सायल न्यायालय से किसी प्रकार की धोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है रोही मौजा देईदास की भूमि की पैदावार से ही गैरसायल सायल व उसकी माता का भरण पोषण करता है एवं रिहायश के लिये हनुमानगढ टाउन में स्थित मकान दे रखा है जिसकी ऋण की किश्त गैरसायल स्वय वहन करता है देईदास की भूमि के अलावा उतरदाता के पास कोई आय का साधन नही है दावा केवल लालचवंश पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है गैरसायाल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 के खसरा न0 158 की 0.4680 , खसरा न0 188/3 की 4.5270 , खसरा न0 188/6 की 1.9480हैक खसरा न0 190/1 की 1.0120 , खसरा न0 190/3 की 1.7580 , कुल 9.7130हैक एव रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 के खसरा न0 32/1 की 1.2530 ,218/1 की 14. 9140हैक कुल 16.1670हैक भूमि जिसके 1/3 हिस्सा अर्थात 5.389 हैक भूमि में वादी के दादा चन्द्रभान के हिस्सा में आयी जिसमें सायल के पिता गैरसायल न0 1 का 1/15 हिस्सा यानि 1.078हैक भूमि स्थित है।

उपरोक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें सायल के दादा चन्द्रभान की स्व अर्जित भूमि है तथा सायल गैरसायल न0 1 के साथ कोपासर्नर है उक्त भूमि के गैरसायल संख्या 1 के सहदायगी खातेदार काश्तकार है तथा उनका वाद भूमि में पैदायशी हक व हिस्सा है चुकि गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि बदनियत व चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त वाद भूमि में सायल व गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है यानि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130है भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा भूमि में सायल व गेरसायल स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा सुरजनसर के खाता सख्या 20/17 की कुल 16.1670हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 5.389हैक भूमि में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा यानी 1.078हैक भूमि सायल व गैरसायल सं. 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से बदयान्ति आ गई है एवं गैरसायल न0 1 ने सायल की माता के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया है तथा सायल नाबालिग है एवं वादी के जीवन व्यापन के लिये एक मात्र यही कृषि भूमि है तथा सायला अपने पीहर में निवास कर रही है गैरसायल न0 1 वाद भूमि को रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिय सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130 में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 की कुल 5.389हैक में से 1/15 हिस्सा अर्थात 1.078हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है कि रिकार्ड एवं मौका का यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमावें।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट काश्तकार नही है सायल के पास विवादित भूमि का कब्जा नही है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है सायल ने प्रार्थना पत्र जरिये माता पेश किया गया है जबकि सायल स्वय बालिग है अर्थात न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नही आया है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सायल की माता को घर से निकाल दिया जबकि सायल व उसकी माता को घर से नही निकाला है हनुमानगढ में मकान देकर रखा हुआ है सायल की माता पिहर में निवास करने का कथन गलत अंकित किया गया है गैरसायल वाद भूमि को कभी भी

रहन बेय नही करना चाहता है। रोही मौजा सुरजनसर की भूमि सायल के दादा चन्द्रभान पुत्र सुरजाराम की स्व अर्जित भूमि है जो जरिये बेयनामा खरीदशुद्वा है इसलिये चन्द्रभान के जीवनकाल में सायल न्यायालय से किसी प्रकार की धोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है रोही मौजा देईदास की भूमि की पैदावार से ही गैरसायल सायल व उसकी माता का भरण पोषण करता है एवं रिहायश के लिये हनुमानगढ टाउन में स्थित मकान दे रखा है जिसकी ऋण की किश्त गैरसायल स्वय वहन करता है देईदास की भूमि के अलावा उतरदाता के पास कोई आय का साधन नही है दावा केवल लालचवंश पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है गैरसायाल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130 में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 की कुल 5.389हैक में से 1/15 हिस्सा अर्थात 1.078हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

गैरसायल ने रोही मोजा सुरजनसर की भूमि के सम्बध में बेयनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार रोही मौजा सुरजनसर की भूमि खरीदशुद्वा भूमि है किन्तु रोही मौजा देईदास के सम्बध में ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो कि रोही मौजा देईदास की भूमि स्वअर्जित हो अर्थात रोही मौजा देईदास की भूमि पैतृक है। अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन आंशिक रूप से गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 अपने नाम दर्ज भूमि का फायदा उठा कर बेचान करना चाहता है गैरसायल न0 1 जिसने रोही मौजा सुरजनसर की भूमि जो जरिये बैयनामा खरीद की गई है में सायल गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक प्रथम दृष्टया पाने का अधिकारी नही है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हक हिस्सा पाने का अधिकारी है अर्थात रोही मौजा देईदास की वाद भूमि के सम्बध में गैरसायल न0 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे वाद भूमि को पैतृक नही माना जावे । पैतृक सम्पति कां साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद में हकों का निर्धारण होगा तब तक रोही मौजा देईदास की वाद भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण ना करने हेतु सायल गैरसायल न0 1 को प्रथम दृष्टया पाबन्द करवाने का अधिकारी है। गैरसायल न0 1 का कथन है उसने सायल एवं उसकी माता को रोही मोजा देईदास की भूमि पर ऋण लेकर मकान दे रखा जिसकी किस्ते गैरसायल न0. 1 वहन कर रहा है यह केवल गैरसायल का कथन है किसी प्रकार का साक्ष्य नही है कि उसने सायल या उसकी माता को मकान दे रखा है मात्र ऋण के दस्तावेजात पेश करने से गेरसायल के कथनों की पुष्टि नही होती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु आंशित तौर से सायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रोही मौजा देईदास की भूमि की हद तक सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 को रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 52/46 की कुल 9.7130 हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 7.14 बीधा पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 20/17 की कुल 5.389हैक में से 1/15 हिस्सा यानी 1.078हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज पर जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)